

न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 04/2019

निर्णय दिनांक 03.10.2019

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का राणेर बी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (सायल)
बनाम

समीउल्ला पुत्र हाजी ईस्माईल जाति मुसलमान साकिन चक 3 जी.एम तहसील छतरगढ़
(गैरसायल)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राणेर बी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल समीउल्ला पुत्र हाजी ईस्माईल जाति मुसलमान साकिन चक 3 जी.एम तहसील छतरगढ़ ने कृषि सम्वत् 2076 में चक 3 जी.एम के मुरब्बा नम्बर 73/2 में कि.न. 2 ता 3 = 2.00, 8 ता 9 = 2.00, 10/2 = 0.18, कुल 4.18 बीघा अ.क. राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से फसल खरीफ (मोंठ) कास्त कर ली है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल नोटिस प्राप्ति के बावजूद अनुपरिथत। अतः गैरसायल के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति में अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण में गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 60/-अक्षरे साठ रुपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। भू.अ.निरीक्षक राणेर को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खड़ी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष में जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि वहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गर्जेन्द्र सिंह नैण)
तहसीलदार(राजस्व)
छतरगढ़